महत्वपूर्ण एवं खास

11 वैकल्पिक पहचान पत्रों में से किसी एक का उपयोग कर मतदान केन्द्रों में पहचान स्थापित कर सकेंगे मतदाता

रायगढ़। लोकसभा निर्वाचन 2019 हेतु मतदान दिवस को बीएलओ पर्ची का उपयोग मात्र मतदान केन्द्रों में मतदाता सूची में मतदाता के नाम एवं सरल क्रमांक को ढूंढने के लिए उपयोग में लाया जाएगा। किसी भी दशा में बीएलओ पर्ची का उपयोग मतदान करने हेतु परिचत्र पत्र के रूप में मान्य नहीं किया जाएगा। सभी मतदाता जिन्हें निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (इपिक कार्ड)जारी किए गए है, मतदान स्थल पर मत डालने से पहले पहचान सुनिश्चित करने हेतु अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखायेंगे। ऐसे निर्वाचक जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते है उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए 11 वैकल्पिक पहचान पत्र दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत कर सकते है। जिनमें पासपोर्ट, ड्रायविंग लाईसेंस, कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोग्राफ्स के साथ परिचय पत्र (केन्द्रीय,राज्य,सरकार,पीएसयू,पब्लिक लिमिटेड कंपनी), बैंक अथवा पोस्ट आफिस द्वारा जारी फोटोग्राफ्स वाली पासबुक, पेन कार्ड, एन.जी.आर.के तहत आरआईजी द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी की गई ।

कलेक्टर द्वारा जिले के मयारू मतदाता ला वोट के नेवता

रायगढ़। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री यशवंत कुमार ने जिले के मयारू मतदाता को वोट के नेवता देते हुए कहे हे कि जइसे कि आप सब जानत हव कि 23 अप्रैल 2019 दिन मंगलवार के देश के बड़का तिहार लोकसभा चुनई 2019 के सबो भाई बहिनी मन ला अपन मत के परयोग करे बर हे। मत के परयोग ले लोकतंत्र हर मजबूत होही, एकरे बर आप सबो झन ले बिनती हावय के, जेकर उमर 18 बछर ले ऊपर हावय अउ जेखर नाव मतदाता सूची मा हावय ओमन 23 अप्रैल के बिहनिया मतदान केन्द्र मा जा के, अपन अउ अप पास परोस के संगी संगवारी मन ला संग मा ले जाके ईव्हीएम मशीन मा बटन ला दबा के अपन मत (वोट) जरूर देवव। ये मोर सब्बो झन से बिनती हावय।

बिना किसी दबाव, प्रलोभन, भयमुक्त एवं निर्भिक होकर मतदान करने कलेक्टर की अपील

रायगढ़। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी यशवंत कुमार ने जिले के सभी मतदाताओं को 23 अप्रैल 2019 को देश के महात्यौहार पर्व लोकसभा निर्वाचन-2019 के लिए भयमुक्त, निर्भिक होकर व बिना किसी दबाव एवं प्रलोभन के अपने मताधिकार का प्रयोग करने हेतु अपील की है। उन्होंने कहा कि अन्य मतदाताओं को भी अपने कीमती मताधिकार का प्रयोग करने हेतु प्रोत्साहित करें जिससे देश के महात्यौहार पर्व पर अधिक से अधिक मतदान कराकर लोकतंत्र की मजबूती में जिले की सहभागिता बन सके।

भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2019 अंतर्गत संसदीय क्षेत्र क्रमांक 2 रायगढ़ (अजजा)के लिए 23 अप्रैल 2019 दिन मंगलवार को प्रातः 7 बजे से मतदान प्रारंभ होकर सायं 5 बजे समाप्त होगा। जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है वे ही

मतदाता, मतदाता परिचय पत्र के अलावा अन्य पहचान पत्र जैसे पासपोर्ट, ड्रायविंग लाईसेंस, कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोग्राफ्स के साथ परिचय पत्र (केन्द्रीय,राज्य सरकार, पीएसयू, पब्लिक लिमिटेड कंपनी), बैंक अथवा पोस्ट आफिस द्वारा जारी फोटोग्राफ्स वाली पासबुक, पेन कार्ड, एन.जी.आर.के तहत आरआईजी द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी की गई स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, तस्वीर के साथ पेंशन दस्तावेज, सांसदों, विधायकों, एमएलसी को जारी किए गए।

17 लाख 31 हजार 655 मतदाता करेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग

रायगढ। लोकसभा निर्वाचन 2019 अंतर्गत लोकसभा संसदीय क्षेत्र क्रमांक 2-रायगढ़ (अ.ज.जा.) अंतर्गत कुल 17 लाख 31 हजार 655 मतदाता 23 अप्रैल 2019 को लोकतंत्र की मजबूती के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जिसमें पुरूष मतदाता 863319, महिला मतदाता-868308 तथा अन्य 28 मतदाता एवं 17901 दिव्यांग मतदाता शामिल है। संवेदनशील/अंतिसंवेदनशील 625 मतदान केन्द्र तथा वेबकास्टिंग हेतु चिन्हांकित 460 मतदान केन्द्र बनाए गए है। लोकसभा संसदीय क्षेत्र क्रमांक 2-रायगढ़ (अ.ज.जा.)अंतर्गत जशपुर एवं रायगढ़ जिला शामिल है। जिसमें जिला जशपुर अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 12-जशपुर (अजजा) में पुरूष मतदाता 111203 एवं महिला मतदाता 110775 एवं 01 अन्य मतदाता, विधानसभा क्षेत्र 13-कुनकुरी (अजजा)में पुरूष मतदाता 96669 एवं महिला मतदाता 98390 तथा विधानसभा क्षेत्र 14 पत्थलगांव (अजजा)में पुरूष मतदाता 105945, महिला मतदाता 109309 एवं 2 अन्य मतदाता शामिल है। इस तरह जिला-जशपुर में कुल 632294 मतदाता है। जिनमें पुरूष मतदाता 313817, महिला मतदाता 318474 एवं 3 अन्य मतदाता शामिल है। इसी तरह जिला रायगढ़ अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 15-लैलूंगा (अजजा) में पुरूष मतदाता 97812 एवं महिला मतदाता 97580, विधानसभा 16-रायगढ़ में पुरूष मतदाता 126383, महिला मतदाता 124281 एवं 17 अन्य मतदाता, विधानसभा 17-सारंगढ़ (अजा.)में पुरूष मतदाता 122997, महिला मतदाता 122927 एवं 3 अन्य मतदाता, विधानसभा क्षेत्र 18 खरसिया में पुरूष मतदाता है।

मनरेगा मजदूरी के लिए भटक रहे ग्रामीण, अभी तक नहीं हुआ भुगतान

रायगढ़। रोजगार के लिए सरकार की सबसे बड़ी योजना मनरेगा में जो नियम बनाया गया है उसमें काम उधारी पर कराया जाता है और काम होने के बाद उसका पेमेंट किया जाता है. लेकिन यही उधारी अब बढ़ कर 297 करोड़ रूपए के पार पहुंच चुका है. सिर्फ 2018-19 में सरकार को मनरेगा में 297 करोड़ का भुगतान करना है. इनमें से 94 करोड़ मजदूरी भुगतान के और 202 करोड़ 18 लाख मैटरियल की उधारी है. जो कि योजना की अलग हकीकत बयां करती है.

महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना में किसी कार्य के पूरा होने के बाद ही भुगतान करने का नियम है, कभी कभी इसमें लंबा समय लग जाता है. सामान्य भाषा में इसे उधारी पर काम कराना कहा जा सकता है. 2018-19 में प्रदेश के 27 जिलों में 30 अरब से भी ज्यादा काम कराए गए, जिनमें मजदूरी पर 22 अरब से अधिक खर्च किए गए. यह एक बड़ी राशि है, जिसे देखने के बाद कहा जा सकता है कि योजना में सरकार का काम बेहतर रहा. लेकिन जैसे ही भुगतान के पेंडिंग मामलों पर नजर डालते हैं तो लगभग 10 प्रतिशत राशि शासन के पास उधार नजर आती है. सिर्फ एक साल में मनरेगा में राज्य सरकार पर 297 करोड़ रूपए की देनदारी है.

शासन के पास जो पैसा अटका है, वह उन मजदूरों का है, जो दिन भर मेहनत करने के बाद उन्होंने अर्जित की है. इसी तरह से अपनी पूंजी लगाकर व्यापार कर रहे विक्रेताओं को भी यह उम्मीद होती है कि उनके पैसे जल्द मिल जाएंगे. लेकिन छह माह से ज्यादा समय गुजरने के बाद भी स्थिति नहीं सुधरी है.

मनरेगा में उधारी खाता चलानेवालों में रायगढ़ प्रदेश के 27 जिलों में 6वें स्थान पर है. जिन्हें 14 करोड़ 12 लाख रूपए का भुगतान किया जाना है. जिनमें दो करोड़ 62 लाख मजदूरी और 11 करोड़41 लाख मैटेरियल का भुगतान नही किया गया है. सबसे बड़े बकाएदारों में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह का गृह जिला राजनांदगांव है, जहां 30 करोड़ 21 लाख का भुगतान पेंडिंग है।

आग से झुलसी महिला

रायगढ़। लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाने के दौरान 35 साल की एक महिला आग में झुलसकर घायल हो गई. महिला को फिलहाल ईलाज के लिए रायगढ़ मेकाहारा में भर्ती कराया गया है। घटना के बारे में बताया गया कि शुक्रवार रात को आमपति राठिया पति मनरूप सिंह राठिया 35 साल गोसाईपोड़ी कापू निवासी लकड़ी के चूल्हे पर खाना बना रही थी, इसी दौरान आग की एक लपट उसके कपड़ों तक पहुंच गई. जिसमें वह बुरी तरह से झुलस गई. जिसके बाद उसे ईलाज के लिए पत्थलगांव सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां से उसे बेहतर ईलाज के लिए रायगढ़ मेकाहारा रेफर कर दिया गया.

उज्जवला का नहीं मिला गैस

मामले में जब घायल महिला के पति से जानकारी मांगी गई तो बताया गया कि गरीब परिवार होने के बावजूद उन्हें उज्जवला गैस कनेक्शन का लाभ नहीं मिला है. अस्पताल में आग से जली हालत में आनेवाली ज्यादातर महिलाओं के साथ गैस कनेक्शन की सुविधा नहीं मिलने की बात कही जाती है. ऐसे में प्रशासन के दावे कितने सही होते हैं, यह समझ से परे है.

महिला यात्री का बैग पार, मामला दर्ज

रायगढ़। दरभंगा से रायगढ़ आ रही एक महिला यात्री का बैग अज्ञात चोरों ने पार कर दिया. जिसकी शिकायत रायगढ़ जीआरपी में दर्ज कराई गई है. घटना के बारे में बताया गया कि मुन्नी कुमारी पति विनीत कौरव शनिवार को दरभंगा-सिकंदराबाद एक्सप्रेस में रायगढ़ आ रही थी. इसी दौरान गाड़ी खुलने के कुछ समय बाद कीउल स्टेशन के पास उनका बैग अज्ञात चोरों ने पार कर दिया. रायगढ़ जीआरपी में की गई शिकायत में महिला ने बताया कि चोरी हुए बैग में कपड़ों के साथ कुछ गहने और आईडी कार्ड रखे हुए थे।

खेलते- खेलते जा पहुंचा तालाब डूबने से मासूम की मौत

रायगढ़। दोस्तों के साथ खेलने के दौरान 10 साल के एक मासूम बच्चे की तालाब में डूबने के कारण मौत हो गई. वहीं घटना की जानकारी तब हुई जब देर शाम वह वापस अपने घर नहीं लौटा, जिसके बाद खोजबीन किए जाने के बाद तालाब में उसके डूबने की जानकारी मिली.

घटना चंद्रपुर थाना के पेन्दारवान गांव की है, जहां मनीष उरांव 10 साल पिता खगेश उरांव शनिवार दोपहर को अपने दोस्तों के साथ गांव के तालाब के पास खेलने के लिए गया हुआ था. इसी दौरान वह तालाब में नहाने के लिए चला गया. लेकिन जब देर शाम सात बजे तक वह घर वापस नहीं गया तो परिजनों को उसकी चिंता होने लगी. जिसके बाद उसकी खोजबीन शुरू हो गई. ऐसे में यह जानकारी मिली कि अंतिम बार उसे तालाब के पास देखा गया था. जब तालाब में उसकी तलाशी की गई तो गहराई में वह डूबा हुआ मिला. बाहर निकालने पर उसकी मौत हो चुकी थी. हालांकि इसके बाद भी परिजन उसे लेकर रायगढ़ अस्पताल पहुंचे, लेकिन यहां भी उन्हें निराशा मिली।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

इस संघ का गठन सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री श्यामता श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐश्वर्या श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी ठकुन्दे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियां की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक तौर के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

तत्काल आवश्यकता है

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र हेतु कम्पयूटर ऑपरेटर, सर्वे करने के लिए, बंडल कार्य हेतु, एवं रिपोर्टर/संवाददाता रायगढ़ एवं जशपुर जिले के लिए तत्काल चाहिए ... संपर्क करें...

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग.
मो. नं. 9039961090

ऑफसेट प्रिंटिंग - न्यूज पेपर प्रिंटिंग

वेस्ट जर्मनी की ऑफसेट मशीन *हेडलबर्ग* से 4 कलर की सभी तरह की प्रिंटिग होती है। प्रिंटिंग जॉब हेतु सम्पर्क करें....

न्यायसाक्षी प्रिंटर्स एण्ड प्रेस
श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग. मो. नं. 9589876400

न्यायसाक्षी समाचार- पत्र की

खरसिया, सारंगढ़, पुसौर, मनार, घरघोड़ा, धरमजयगढ़, पत्थलगांव लुड़ेग, कांसाबेल, कुनकुरी, जशपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में एजेंसी देना है, तत्काल संपर्क करें।

स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़, छ.ग.
संपर्क करें मो.नं. 9039961090

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480